

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 205ए/2015

संस्थित दिनांक : 07.10.2014

फाइलिंग नंबर : 230303012912014

1-रामसेवक आयु 55 वर्ष

2-विश्रामसिंह आयु 50 वर्ष पुत्रगण कोकसिंह जाति लोधे राजपूत, धन्धा खेती, निवासीगण ग्राम लोधे की पाली परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

— वादीगण

बनाम

1-हरेन्द्रसिंह पुत्र कोकसिंह आयु 48 वर्ष जाति लोधे राजपूत, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम लोधे की पाली परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

2-म०प्र० राज्य शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म०प्र०

— प्रतिवादीगण

(वादीगण द्वारा-अधिवक्ता श्री जी०एस०गुर्जर)

(प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अधिवक्ता श्री आर०पी०एस० गुर्जर)

(प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एकपक्षीय)

निर्णय

(आज दिनांक 31-07-2017 को घोषित)

1. वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम लोधे की पाली में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 47 रकवा 1.19, सर्वे क्रमांक 74 रकवा 0.44, सर्वे क्रमांक 244 रकवा 0.91, सर्वे क्रमांक 445 रकवा 1.29, सर्वे क्रमांक 553 रकवा 0.32, सर्वे क्रमांक 541 रकवा 0.34, पर प्रतिवादीगण के साथ समान भाग पर एवं भूमि सर्वे क्रमांक 242 रकवा

0.92, 572 रकवा 0.31, 573 रकवा 0.31 में से 1/2 भाग पर तथा सर्वे क्रमांक 69 रकवा 0.12, 333 रकवा 0.10, 418 रकवा 0.25, 461 रकवा 0.61, 539 रकवा 0.21, 881 रकवा 0.80, 905 रकवा 0.64, 1040 रकवा 0.08, 1283 रकवा 0.95, 1284 रकवा 0.29, के संपूर्ण रकवे तथा सर्वे क्रमांक 70 रकवा 0.58, 315 रकवा 0.55, 335 रकवा 0.57, 336 रकवा 0.61, 609 रकवा 1.00 में से 1/2 भाग एवं भूमि सर्वे क्रमांक 1281 रकवा 0.85, 1282 रकवा 0.52 में 75/136 भाग की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा नामांतरण आदेश दिनांक 12.08.09 को निष्प्रभावी घोषित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

- 2- संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि ग्राम लोधे की पाली में स्थित भूमि सर्वे क्र. 47 रकवा 1.19 सर्वे क्र.74 रकवा 0.44 सर्वे क्र.244 रकवा 0.91 सर्वे क्र.445 रकवा 1.29 सर्वे क्र.553 रकवा 0.30 सर्वे क्र.571 रकवा 0.34 के वादीगण प्रतिवादी क्र.1 भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी है तथा भूमि सर्वे क्र.242 रकवा 0.92 सर्वे क्र.512 रकवा 0.31 सर्वे क्र.513 रकवा 0.31 के हिस्सा 1/2 के वादी एवं प्रतिवादीगण समान भाग के स्वत्व व आधिपत्यधारी है। ग्राम लोधे की पाली में स्थित भूमि सर्वे क्र.69 रकवा 0.12 सर्वे क्र. 333 रकवा 0.10 सर्वे क्र.418 रकवा 0.25 सर्वे क्र.461 रकवा 0.61 सर्वे क्र.539 रकवा 0.21 सर्वे क्र.881 रकवा 0.80 सर्वे क्र.905 रकवा 0.64 सर्वे क्र.1040 रकवा 0.08 सर्वे क्र. 1283 रकवा 0.95 सर्वे क्र.1284 रकवा 0.29, के संपूर्ण रकवे के एवं सर्वे क्र.70 रकवा 0.58 सर्वे क्र.315 रकवा 0.55 सर्वे क्र.335 रकवा 0.57 सर्वे क्र.336 रकवा 0.62 सर्वे क्र.609 रकवा 1.00 के हिस्सा 1/2 के वादीगण समान भाग के स्वत्व व आधिपत्यधारी है ग्राम लोधे की पाली में स्थित भूमि सर्वे क्र.416 रकवा 0.23 सर्वे क्र.552 रकवा 0.16, सर्वे क्र. 853 रकवा 0.15, सर्वे क्र.893 रकवा 1.07 सर्वे क्र.1277 रकवा 0.30 सर्वे क्र.1279 रकवा 0.27 सर्वे क्र.1286 रकवा 0.34 के संपूर्ण भाग के प्रतिवादी क्र.1 स्वत्व व आधिपत्यधारी है। भूमि सर्वे क्र.1281 रकवा 0.85 सर्वे क्र.1282 रकवा 0.52 के हिस्सा 75/136 के वादी क्र.2 विश्राम सिंह व प्रतिवादी क्र.1 स्वत्व व आधिपत्यधारी है उक्त सभी भूमि प्रकरण में वादग्रस्त है। भूमि सर्वे क्र.47 सर्वे क्र.74 सर्वे क्र.244 सर्वे क्र.445 सर्वे क्र.553 एवं सर्वे क्र. 571 वादी एवं प्रतिवादीगण को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई थी। वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई है। भूमि सर्वे क्र.69 सर्वे क्र.333 सर्वे क्र.418 सर्वे क्र.461, सर्वे क्र.539 सर्वे क्र.881 सर्वे क्र.905 सर्वे क्र.1040 सर्वे क्र.1283 सर्वे क्र.1284 सर्वे क्र.70 सर्वे क्र.315, 335, 336 एवं 609 वादी की स्वअर्जित भूमि है तथा सर्वे क्र.416, 552, 853, 893, 1277, 1279, एवं 1286 प्रतिवादी क्र.1 के नाम से अंकित है। वादपत्र के पद क्र.1 में वर्णित भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण समान भाग के स्वत्व व आधिपत्यधारी है तथा पद क्र.2 में वर्णित भूमि के मात्र वादीगण स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं एवं पद क्र.3 में वर्णित भूमि के प्रतिवादी क्र.1 भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी है तथा पद क्र.4 में वर्णित भूमि के वादी क्र.2 विश्राम सिंह एवं प्रतिवादी क्र.1 हरेन्द्र सिंह समान भाग के स्वत्व व अधिपत्यधारी है तदनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने भाग का बटवारा कराने के अधिकारी है। वादी क्र.2 शासकीय सेवा में होने से होशंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है तथा वादी क्र.1 सीधा सादा व्यक्ति है प्रतिवादी क्र.1 चालाक व्यक्ति है उसने राजस्व अधिकारियों से मिलकर वादीगण के हिस्से की भूमि का बटवारा करा लिया है। बटवारे में वादीगण के हिस्से की भूमि को प्रतिवादी क्र.1 हरेन्द्र सिंह ने अपने नाम करा लिया है जिसका हरेन्द्र सिंह को कोई अधिकार नहीं था प्रतिवादी क्र.1 हरेन्द्र ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का रकवा अपने नाम चढ़वा लिया है एवं जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर जोतना चाहता है दिनांक 5/7/14 को हरेन्द्र सिंह ने जबरन कब्जा करने की धमकी दी थी तब वादी ने खसरे की नकलें प्राप्त की थी तब वादी को नामान्तरण आदेश की जानकारी हुई थी एवं प्रतिवादी द्वारा कराये गये अवैध बटवारे की जानकारी हुई थी जिसकी अपील एस0डी0ओ0 महोदय गोहद के कार्यालय में पेश की गई है।

प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहता है एवं वादीगण के स्वत्वों से भी इंकार करने लगा है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण का निवेदन है कि वादीगण को वादपत्र के पद क्रमांक 1, 2 एवं 4 में वर्णित अनुसार वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं अधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा नामांतरण पंजी क्रमांक 3 में पारित आदेश दिनांक 12.08.09 को प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप न करें।

3. प्रतिवादी क्र.1 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुये उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र के पद क्र.2 में वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्र.1 के पिता कोकसिंह ने खरीदी थी जिसमें नाबालिग होने के कारण उसका नाम नहीं चढा था उक्त भूमि में प्रतिवादी क्र.1 का भी हिस्सा है वाद पत्र के पद क्र.4 में वर्णित भूमि का समान भाग उसे व विश्राम सिंह को प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि सर्वे क्र.1282 रकवा 0.40 प्राप्त हुआ है वादपत्र के पद क्र.3 में वर्णित भूमि प्रतिवादी क्र.1 द्वारा स्वयं कय की गई है एवं पद क्र.2 में वर्णित भूमि वादी के एकांकी स्वामित्व की नहीं है पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाईयों की सहमति से घरू बटवारा कराया गया था एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का इन्द्राज हुआ था। बंटवारे के समय वादी क्र.2 विश्राम सिंह ने होशंगाबाद के प्लॉट के बदले उसे 2 बीघा जमीन थी तथा दोनों वादीगण द्वारा दो लाख रुपये उसे देने को कहा गया था जो कि आज तक नहीं दिये गये हैं। बंटवारे के समय जो सम्पत्ति जिन लोगों से खरीदी थी उसका वयनामा नहीं हो पाया था वह जमीन भी वादीगण के हिस्से में लगाई गई थी। वादीगण को बटवारे की पूर्ण जानकारी थी प्रतिवादी द्वारा अपने हिस्से में रकवा नहीं बढ़वाया गया है बल्कि सहमति से घरू बटवारा हुआ है जिसकी जानकारी वादीगण को बटवारे के समय से ही थी। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।
4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 2 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित हैं।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या वादीगण मौजा लोधे की पाली में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 47 रकवा 1.19, सर्वे क्रमांक 74 रकवा 0.44, सर्वे क्रमांक 244 रकवा 0.91, सर्वे क्रमांक 445 रकवा 1.29, सर्वे क्रमांक 553 रकवा 0.32, सर्वे क्रमांक 541 रकवा 0.34 के प्रतिवादीगण के साथ समान भाग के स्वत्व व अधिपत्यधारी हैं ?
2. क्या वादीगण मौजा लोधे की पाली में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 242 रकवा 0.92, 572 रकवा 0.31, 573 रकवा 0.31 में 1/2 के प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ समान भाग के स्वत्व व अधिपत्यधारी हैं ?
3. क्या मौजा लोधे की पाली में स्थित भूमि

सर्वे क्रमांक 69 रकवा 0.12, 333 रकवा 0.10, 418 रकवा 0.25, 461 रकवा 0.61, 539 रकवा 0.21, 881 रकवा 0.80, 905 रकवा 0.64, 1040 रकवा 0.08, 1283 रकवा 0.95, 1284 रकवा 0.29 के संपूर्ण रकवे के तथा सर्वे क्रमांक 70 रकवा 0.58, 315 रकवा 0.55, 335 रकवा 0.57, 336 रकवा 0.61, 609 रकवा 1.00, में से 1/2 भाग के वादीगण समान भाग के स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं ?

4. क्या ग्राम लोधे की पाली में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1281 रकवा 0.85, 1282 रकवा 0.52 में 75/136 भाग के वादी क्रमांक 2 प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं ?

5. क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा गलत रूप से वादी के हिस्से की भूमि का नामांतरण अपने हित में कराया गया है ?

6. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?

7. क्या वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

8. क्या वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?

9. क्या प्रस्तुत वाद अवधि बाधित है ?

10. क्या प्रस्तुत प्रकरण विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य है ?

11. सहायता एवं व्यय?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न क्रमांक-1, 2, 3, 4 एवं 5

6. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
7. उक्त वादप्रश्नों के संबंध में वादी रामसेवक वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिव्यक्त किया गया है कि ग्राम लोधे की पाली में स्थित भूमि क्रमांक 47 रकवा 1.19, 74 रकवा 0.44, 244 रकवा 0.91, 445 रकवा 1.29, 553 रकवा 0.32, 571 रकवा 0.34, का वह एवं उसका भाई विश्राम सिंह तथा प्रतिवादी हरेन्द्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। सर्वे क्रमांक 242 रकवा 0.92, 512 रकवा 0.31, 513 रकवा 0.31 के 1/2 भाग के वादीगण एवं प्रतिवादी हरेन्द्रसिंह स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। उक्त भूमि उसे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। ग्राम लोधे की पाली में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 69 रकवा 0.12, 333 रकवा 0.10, 418 रकवा 0.25, 461 रकवा 0.61, 539 रकवा 0.21, 881 रकवा 0.80, 905 रकवा 0.64, 1040 रकवा 0.08, 1283 रकवा 0.95, 1284 रकवा

0.29, के पूरे रकवे के एवं सर्वे क्रमांक 70 रकवा 0.58, 315 रकवा 0.55, 335 रकवा 0.57, 336 रकवा 0.62, 609 रकवा 1.00 के 1/2 भाग के वादीगण समान भाग के स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं। उक्त भूमि उसके एवं वादी रामसेवक के द्वारा स्वयं पैदा की गयी संपत्ति है। ग्राम लोधे की पाली में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 416 रकवा 0.23, 552 रकवा 0.16, 853 रकवा 0.15, 893 रकवा 1.07, 1277 रकवा 0.30, 1278 रकवा 0.27, 1266 रकवा 0.34, का हरेन्द्रसिंह भूमिस्वामी है। भूमि सर्वे क्रमांक 1281 रकवा 0.85, 1282 रकवा 0.52 के 75/136 भाग के वादीगण एवं प्रतिवादी हरेन्द्रसिंह समान भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। उसका छोटा भाई विश्रामसिंह शासकीय सेवा में स्वास्थ्य विभाग में होशंगाबाद में पदस्त है उसे बंटवारे की कोई सूचना नहीं दी गयी थी प्रतिवादी ने बिना सूचना के बंटवारा कराया है। प्रतिवादी हरेन्द्रसिंह ने उसे एवं विश्रामसिंह को मुगालते में रखकर उनके हिस्से की भूमि का बंटवारा राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों से मिलकर अपने हिस्से में करा लिया है जितने हिस्से का रकवा उसका एवं विश्रामसिंह का होता है उतना हिस्सा उसकी फर्द में लगना चाहिए था जितना रकवा हरेन्द्रसिंह का होता है उतना रकवा हरेन्द्रसिंह को मिलना चाहिए लेकिन प्रतिवादी हरेन्द्रसिंह ने एस.एल.आर. से मिलकर दिनांक 12.08.09 को गलत रूप से बंटवारा करा लिया है एवं वादीगण के हिस्से की भूमि को भी हरेन्द्र ने अपने नाम करा लिया है जिसे करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। जब प्रतिवादी ने दिनांक 05.07.14 को उसके हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी थी तब उसने तहसील कार्यालय में आवेदन पेश कर बंटवारे से पूर्व के खसरे की नकल प्राप्त की थी उसके बाद उसे जानकारी हुई थी कि हरेन्द्रसिंह ने गलत रूप से बंटवारा करा लिया है जिसकी अपील उसने एस.डी.ओ. गोहद के समक्ष पेश की है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में खसरा संवत 2068 लगायत 2072 प्र0पी-3, खसरा संवत 2063 लगायत 2067 प्र0पी-4, तथा नामांकन पंजी क्रमांक 3 की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी-5 प्रकरण में पेश की गयी है।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके बाबा का नाम जगन्नाथसिंह है उसके बाबा के नाम लोधे की पाली में कोई जमीन नहीं थी एवं स्पष्ट किया है कि उसके पिता के नाम पर थी। उक्त साक्षी ने इसी पद क्रमांक में यह भी स्वीकार किया है कि उसने दावे में यह नहीं लिखा है कि उसने वादग्रस्त भूमि कहां से प्राप्त की थी वादग्रस्त जमीन उसे उसके पिता से मिली थी उसके पिता से उसे एवं उसके भाइयों को बराबर-बराबर जमीन मिली थी वह नहीं बता सकता कि कौन-कौन से सर्वे क्रमांक उसे उसके पिता से मिले थे। उसने जो जमीन खरीदी है उसका बयानामा पेश नहीं किया है उस पर उसका नामांतरण हो चुका है। वह नहीं बता सकता है कि उसने जमीन किससे खरीदी थी। उसके पिता की वर्ष 1988 में मृत्यु हो गयी थी। जब उसके पिता जिंदा थे तो वह और उसके भाई अलग-अलग हो गये थे फिर कहा कि शामिल रहते थे। उसके पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपनी जमीन उन तीनों भाइयों में बांट दी थी। उसके पिता ने मरने के दो साल पहले ही जमीन तीनों भाइयों में बांट दी थी। पद क्रमांक 8 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे नहीं पता कि तहसील में बंटवारे की कार्यवाही किसने की थी तहसील में बंटवारा नहीं हुआ है। उसने दावा इस बात का किया है कि प्रतिवादीगण ज्यादा जमीन जोत रहे हैं। उसने यह दावा बंटवारा निरस्त कराने के लिए नहीं किया है। पिताजी ने उन तीनों भाइयों के नाम जमीन खरीदी थी। पद क्रमांक 9 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पिताजी से जो जमीन उन भाइयों को मिली थी वह जमीन तीन जगह बराबर-बराबर बंटनी चाहिए। उक्त साक्षी ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि वादग्रस्त पूरी जमीन तीनों भाइयों की है एवं व्यक्त किया है कि कुछ जमीन उसने बाद में खरीदी है उसने पिता के मरने के बाद जमीन खरीदी थी एवं यह भी स्वीकार किया

है कि पिता के मरने के बाद उसने जो जमीन खरीदी थी वह बयनामा उसने प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। पद क्रमांक 10 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने लल्लू से जमीन खरीदी थी उसे याद नहीं है कि उसने लल्लू से कौन से सन् में जमीन खरीदी थी। उसने लल्लू को तीन लाख रुपये दिए थे। पद क्रमांक 11 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके पिताजी के समय से टैक्टर है टैक्टर का बंटवारा हुआ था। बंटवारा कब हुआ था यह उसे जानकारी नहीं है। टैक्टर उसके पास रहा था। टैक्टर और एक बीघे जमीन उसे मिली थी तथा पैतृक मकान हरेन्द्र को दिया गया था।

9. वादी विश्रामसिंह वा0सा02 ने भी वादी रामसेवक वा0सा01 के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
10. प्रतिवादी हरेन्द्रसिंह प्र0सा01 ने वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि उसकी व वादीगण की शामिल शरीक भूमि है वादग्रस्त भूमि में उसका भी हिस्सा है। सर्वे क्रमांक 1291, 1282 उसे व वादी विश्रामसिंह को समान भाग से प्राप्त नहीं हुए थे बल्कि सर्वे क्रमांक 1282 प्राप्त हुआ था। विवादित भूमि उसके पूर्वजों की भूमि नहीं है बल्कि उसके पिता द्वारा अपनी स्वयं की संपत्ति से खरीदी गयी है जिसमें उसका 1/2 हिस्सा गलत लिखा है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की स्वअर्जित संपत्ति नहीं है बल्कि वादीगण एवं प्रतिवादी के पिता द्वारा खरीदी गयी भूमि है उस समय वह नाबालिग था इसलिए उक्त भूमि वादीगण के नाम से खरीदी गयी थी। वादी विश्रामसिंह शासकीय सेवा में है। उसने व वादीगण ने पिता की मृत्यु उपरांत सहमति से बंटवारा कर लिया था एवं बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुआ था। घरू बंटवारे में उसके पिता ने वादपत्र की कलम नंबर 2 में वर्णित भूमि वादीगण के नाम करा दी थी। बंटवारे के समय वादी क्रमांक 2 ने होशंगाबाद के प्लॉट के बदले उसे दो बीघे जमीन दी थी एवं वादीगण ने दो लाख रुपये उसे देने के लिए कहा था जोकि उसे नहीं दिए गए थे। बंटवारे के समय जो संपत्ति जिन लोगों ने खरीदी थी उसका बयनामा नहीं हो पाया था उसका भी बंटवारे के समय हिस्सा तय करके दे दिया गया था। तीन बीघा भूमि जो वादीगण के साले के नाम से थी वह वादीगण के हिस्से में लगायी गयी थी तथा वादीगण के द्वारा लल्लू से खरीदी गयी जमीन का बयनामा नहीं हुआ था वह जमीन भी वादीगण के हिस्से में लगायी गयी थी। बंटवारा वादीगण की जानकारी में पूर्ण रूप से और स्वेच्छा से हुआ था उक्त बंटवारे के विरुद्ध वादीगण ने कोई अपील नहीं की थी बंटवारे को 5-6 साल हो चुके हैं। उसने किसी प्रकार का कोई रकवा नहीं बढ़वाया है। बंटवारे की जानकारी बंटवारे के समय से ही वादीगण को है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 9 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि बंटवारा तीनों भाइयों की सहमति से हुआ था। बंटवारा फर्द पर तीनों भाइयों की सहमति के हस्ताक्षर थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बंटवारा पंजी प्र0पी-5 पर उक्त तीनों भाइयों में से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है।
11. प्रतिवादी साक्षी गम्बरसिंह प्र0सा02 ने भी प्रतिवादी हरेन्द्रसिंह प्र0सा01 के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की है।
12. तर्क के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बंटवारा अपने हित में करा लिया गया है। प्रतिवादी द्वारा गलत रूप से नामांतरण कराया गया है जबकि तर्क के दौरान प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति से घरू बंटवारा हो चुका था एवं उसी बंटवारे के अनुरूप तहसील में सहमति से बंटवारा हुआ था जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से वादीगण को थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा सही बंटवारा कराया गया है एवं बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है।

13. इस प्रकार वादी रामसेवक वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 वादपत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 4 में वर्णित अनुसार वादग्रस्त भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है तथा उक्त अनुसार ही बंटवारा कराने के अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वह सर्वे क्रमांक 69, 334, 418, 539, 881, 905, 1040, 1283 एवं 1284 के संपूर्ण रकवे के तथा सर्वे क्रमांक 70, 315, 335, 336, एवं 609 के 1/2 भाग के स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं। उक्त भूमि वादीगण की स्वअर्जित भूमि है परन्तु वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा उक्त भूमि को किस प्रकार से अर्जित किया गया है। वादी रामसेवक वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि उसने किससे जमीन खरीदी थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने लल्लू से जमीन खरीदी थी परन्तु वह नहीं बता सकता कि उसने लल्लू से किस सन में जमीन खरीदी थी इस प्रकार वादीगण ने सर्वे क्रमांक 69, 333, 418, 461, 539, 881, 905, 1040, 1283, 1284, 70, 315, 335, 336, एवं 609 की भूमि स्वअर्जित करना बताया है परन्तु वादीगण द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उक्त भूमि उनके द्वारा किस प्रकार अर्जित की गयी है। वादी रामसेवक वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान लल्लू से जमीन कय करना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने लल्लू से किस सर्वे क्रमांक की भूमि कय की थी वादीगण द्वारा उक्त संबंध में कोई विक्रयपत्र भी प्रकरण में पेश नहीं किया गया है।
14. वादी रामसेवक वा0सा01 ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह बताया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसके पिता की मृत्यु वर्ष 1988 में हो गयी थी एवं उसके पिता ने अपनी मृत्यु से दो वर्ष पूर्व ही वादग्रस्त जमीन उन तीनों भाइयों में बांट दी थी। उसके पिता के समय से ही टैक्टर था। बंटवारे में टैक्टर और एक बीघे जमीन उसे मिली थी तथा पैतृक मकान हरेन्द्र को मिला था। इस प्रकार वादी रामसेवक वा0सा01 के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य उनके पिता के जीवनकाल में ही बंटवारा हो गया था एवं बंटवारे के अनुरूप ही वादीगण एवं प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी रामसेवक वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी हरेन्द्र के मध्य उनके पिता के जीवनकाल में ही घर बंटवारा हो चुका था जबकि वादी विश्रामसिंह वा0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि उसके पिता ने अपने जीवनकाल में उन तीनों भाइयों के मध्य बंटवारा नहीं किया था इस प्रकार उक्त बिन्दु पर वादी रामसेवक वा0सा01 एवं वादी विश्रामसिंह वा0सा02 के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं जो वादीगण के कथनों की सत्यता को खण्डित करते हैं।
15. वादी रामसेवक वा0सा01 ने यह अभिवचनित किया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 47, 74, 244, 445, 553, 571, 242, 512, 513, उसे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई थी परन्तु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के स्वत्व की भूमि थी जो कि वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई थी। वादी रामसेवक वा0सा01 ने वादपत्र के पद क्रमांक 2 में वर्णित भूमि स्वयं अर्जित करना बताया है परन्तु वादीगण द्वारा उक्त संबंध में भी कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ था परन्तु वादी रामसेवक वा0सा01 द्वारा अपने

प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि उसके पिता ने अपनी मृत्यु के दो वर्ष पूर्व ही उन तीनों भाइयों के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कर दिया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी हरेन्द्र ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर गलत रूप से प्र०पी-5 की नामांतरण पंजी के अनुसार बंटवारा कराया है। प्र०पी-5 की नामांतरण पंजी में फर्द में अंकित व्यक्तियों की पारस्परिक सहमति के अनुसार बंटवारा स्वीकृति किए जाने का उल्लेख है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा प्र०पी-5 की नामांतरण पंजी को चुनौतित किया गया है। अतः यह साबित करने का भार वादीगण पर था कि बंटवारा पारस्परिक सहमति से नहीं हुआ था परन्तु वादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि प्रतिवादी द्वारा गलत रूप से बंटवारा कराया गया था। प्र०पी-5 की नामांतरण पंजी में भी फर्द में अंकित व्यक्तियों की पारस्परिक सहमति से बंटवारा किए जाने का उल्लेख है। वादी रामसेवक वा०सा०१ द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उनके मध्य पिता की मृत्यु के दो वर्ष पूर्व से ही बंटवारा हो चुका था। प्र०पी-5 की नामांतरण पंजी में फर्द में अंकित व्यक्तियों की पारस्परिक सहमति से बंटवारा स्वीकृत किए जाने का उल्लेख है यदि वादीगण की सहमति से बंटवारा नहीं हुआ था तो वह फर्द सूची जिसके अनुसार बंटवारा स्वीकृत किया गया है वह प्रकरण में प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु वादीगण द्वारा उक्त सूची प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रतिवादी द्वारा गलत रूप से वादीगण की सहमति के बिना बंटवारा कराया गया था। वादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि प्र०पी-5 की नामांतरण पंजी गलत रूप से तैयार की गयी है। वादीगण द्वारा स्वयं बंटवारे के तथ्य को अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में छिपाया गया है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये हैं। वादीगण द्वारा सत्यता को छिपाया गया है ऐसी स्थिति में वादीगण न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

16. वादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि पर वादपत्र के पद क्रमांक 1,2,3 एवं 4 में वर्णित अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं। परन्तु वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि में उनके हिस्सा का भाग कहां स्थित है। वादीगण द्वारा अपने हिस्से की स्पष्ट पहचान एवं चतुरसीमा का भी स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। वादी रामसेवक वा०सा०१ ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है "कि जितने हिस्से का रकवा मेरा और विश्रामसिंह का होता है उतना हिस्सा हमारी फर्द में लगना चाहिए और जितना हिस्सा हरेन्द्रसिंह का होता है उतना रकवा हरेन्द्रसिंह को मिलना चाहिए लेकिन हरेन्द्रसिंह ने एस.एल.आर. से मिलकर हमारे पीठ पीछे दिनांक 12.08.09 को गलत रूप से बंटवारा करा लिया है जिससे मेरी और विश्रामसिंह के हिस्से की भूमि हरेन्द्र ने अपने नाम करा लिया है।" परन्तु वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने हिस्से का रकवा उसकी फर्द में लगना चाहिए और कितने हिस्से का रकवा हरेन्द्रसिंह को मिलना चाहिए। वादीगण द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि हरेन्द्रसिंह ने वादीगण के हिस्से की कितनी भूमि अधिक रूप से अपने नाम करा ली थी। वादीगण द्वारा वादपत्र में स्पष्ट अभिवचन नहीं किए गए हैं। वादीगण द्वारा अटकलपच्चू दावा पेश किया गया है ऐसी स्थिति में भी वादीगण कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

17. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वह वादपत्र के पद क्रमांक 1, 2, एवं 4 में वर्णित अनुसार वादग्रस्त भूमि के स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं। वादीगण यह प्रमाणित करने में भी असफल

रहे हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा गलत रूप से वादी के हिस्से की भूमि का नामांतरण अपने हित में कराया गया है। फलतः उपरोक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं हैं।

वाद प्रश्न क्रमांक-6 एवं 7

18. उक्त वादप्रश्नों का निष्कर्ष वादप्रश्न क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 के निष्कर्ष पर आधारित है। उपर वर्णित विवेचना के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व एवं स्पष्ट आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। वादीगण यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे हैं प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा गलत रूप से वादी के हिस्से की भूमि का नामांतरण अपने हित में कराया गया है ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं हैं। फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न क्रमांक-8

19. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है एवं कम न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद संचालन योग्य नहीं है जबकि वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उनके द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।
20. प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि की स्वत्व घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं नामांतरण पंजी दिनांक 12.08.09 को प्रभावहीन घोषित करने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा कृषि भूमि की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है एवं न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7(4) (सी) के अनुसार "घोषणात्मक डिक्री या आदेश प्राप्त करने के बादो में जहां पारिणामिक अनुतोष प्रार्थित है वहां वादी ईप्सित अनुतोष की रकम का कथन करेगा।" इस प्रकार स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के बादो में वादी अपने वाद का मूल्यांकन करने के लिये स्वतंत्र है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वादीगण द्वारा विवादित भूमि के लगान के 20 गुणे के आधार पर वाद का मूल्यांकन कर तदनुसार न्यायशुल्क अदा किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। फलतः उक्त वाद प्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न क्रमांक-9

21. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण को बंटवारा के समय से ही बंटवारे की जानकारी थी। अतः प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है।
22. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने वादग्रस्त भूमि की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तथा नामांतरण पंजी दिनांक 12.08.09 को निष्प्रभावी घोषित किए जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उन्हें दिनांक 05.07.14 को वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी थी तब उन्हें बंटवारे की जानकारी हुई थी। वादीगण ने वाद कारण दिनांक 05.07.14 को उत्पन्न होना बताया है एवं वादीगण द्वारा यह वाद दिनांक 01.10.14 को प्रस्तुत किया गया है। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 58 के

अनुसार घोषणा अभिप्राप्त करने के लिए परिसीमा अवधि जब वाद लाने का अधिकार प्रथम बार प्रोद्भूत होता हो तब से तीन वर्ष की अवधि तक है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने वाद कारण दिनांक 05.07.14 को उत्पन्न होना बताया है एवं वादीगण द्वारा यह वाद दिनांक 01.10.14 को अर्थात वाद कारण उत्पन्न होने से तीन वर्ष की अवधि के अंदर प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि से बाधित नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

वाद प्रश्न क्रमांक-10

23. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण ने प्रकरण में कब्जा वापसी की सहायता नहीं चाही है। अतः प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत संचालन योग्य नहीं है।
24. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र के पद क्रमांक 1,2 एवं 4 में वर्णित भूमि की स्वत्व घोषणा तथा नामांतरण आदेश दिनांक 12.08.09 को प्रभावहीन घोषित किए जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादपत्र के पद क्रमांक 1 में वर्णित भूमि के वह एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 समान भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं तथा पद क्रमांक 4 में वर्णित भूमि के वादी क. 2 विश्रामसिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। इस प्रकार वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त आधिपत्य है एवं उनकी शामिलाली खेती हो रही है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी का संयुक्त आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में वादीगण को पृथक से कब्जा वापसी की सहायता मांगना आवश्यक नहीं था। अतः प्रस्तुत वाद कब्जा वापसी की सहायता न चाहे जाने के कारण अप्रचलनशील नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

सहायता एवं व्यय

25. समग्र अवलोकन से वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।
26. वाद का सम्पूर्ण व्यय वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा समान रूप से वहन किया जायेगा।
27. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा।

तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 31-07-2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1

गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1

गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)